

(9)

अ०श० पत्रांक १८३२/३८ क

दिनांक ४-३-६८ के अन्तर्गत

यदि पॉप हार्स पावर से अधिक लोड की आवश्यकता हो

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी के पास
एकड़ भूमि है जिसके लिये नलकूप लगाना चाहता है।


J.E.M..
Block-Pahari
Chitrakoot

खण्ड विकास अधिकारी

खण्ड विकास अधिकारी

पहाड़ी-चित्रकूट


सुरेशचन्द्र
ग्राम विकास अधिकारी
प्रा०प०.....
पहाड़ी-चित्रकूट

(२)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी ने अपना कुँआ बनवा लिया है और उसकी विद्युत की मांग उचित है।

(३)

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नलकूप २४ मीटर चौड़ी नहर से २०० मीटर दूर है २५ मीटर चौड़ी नहर से १०० मीटर दूर है।


सुरेशचन्द्र
ग्राम विकास अधिकारी
प्रा०प०.....
J.E.M..
Block-Pahari
Chitrakoot

खण्ड विकास अधिकारी

खण्ड विकास अधिकारी

पहाड़ी-चित्रकूट

संख्या २६० १ एक टी २३ आ.ई.ई.सी. दिनांक २२-२-८७ के अन्तर्गत

(४)

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी को वास्तविक नहर से ठीक पानी नहीं मिल पाता तथा इस विभाग की प्रार्थी की नलकूप के कनेक्शन देने में आपत्ति नहीं है।

(राम आफसेट प्रिन्टर्स कर्दी, २३३३१७)


सुरेशचन्द्र
ग्राम विकास अधिकारी
प्रा०प०.....
J.E.M..
Block-Pahari
Chitrakoot

खण्ड विकास अधिकारी

खण्ड विकास अधिकारी

पहाड़ी-चित्रकूट